न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

कदमा नं0:– 23/13

कलावती पत्नी भोलासिंह
धीरजसिंह पुत्र भोलासिंह
भूरीसिंह पुत्र भोलासिंह
महेश पुत्र भोलासिंह
सभी जाति जाट निवासी बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान
—— प्रार्थीगण

बनाम

1. वहीद खां पुत्र बाबूखां जाति गद्दी निवासी बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर
2. फूलवती पत्नी मोहनसिंह जाति जाट निवासी बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर
3. किशनलाल पुत्र रामजीलाल जाति खटीक निवासी बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर
4. दलवीरसिंह पुत्र बावूसिंह
5. पुरन सिंह पुत्र बावूसिंह
6. भूपसिंह पुत्र बावूसिंह
7. वीरसिंह पुत्र बावूसिंह
   सभी जाति जाट निवासी ग्राम बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर
8. तहसीलदार बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान

—— गैरप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र शुद्धीकरण अन्तर्गत धारा 136 व 131 आर. एल.आर. एक्ट व अन्तर्गत लैण्ड रिकार्ड रूल्स

दिनांक :– 01/04/26

आदेश

उपस्थितिः–श्री अजीतसिंह एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 आर. लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि पुराना खसरा न0 220 मिन रकवा 1 बीघा 11 विस्वा व 221 मिन रकवा 1 बीघा 11 विस्वा, 222 मिन रकवा 1 बीघा, 223 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा किता 4 कुल रकवा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है, पुराने खसरा नम्बर 220 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा के सैटिलमेंट हाल से पहले न्यायालय श्रीमान उपजिला कलैक्टर महोदय बयाना के द्वारा पारित की गई डिक्री के जरिये प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता व प्रार्थिनी संख्या 1 के पति श्री भोलासिंह बदकर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार व काबिज घोषित किये गया और उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के हक में इन्द्राजात खातेदारी काश्तकारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये तथा उक्त आराजी के बाकी 1/2 हिस्से की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थिनी संख्या 1 कलावती के पक्ष में विक्रय कर दी व मौके पर वहैसियत खातेदार काश्तकार उक्त कलावती प्रार्थिनी संख्या 1 का मौके पर कब्जा दे दिया, उक्त पुराने खसरा नम्बर 220 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा की सीमांकन इस प्रकार है कि तरफ उत्तर के गठ्ठा 2 है, तरफ दक्षिण के गठ्ठा 7 है व तरफ पूर्व के गठ्ठा 103 है व तरफ पश्चिम के गठ्ठा 103 है तथा खसरा नम्बर 221 के उत्तर के 4 गठ्ठा है, दक्षिण के 7 गठ्ठा है, पूरव के 102 व पश्चिम के 102 गठ्ठा है तथा खसरा नम्बर 222 के उत्तर के 3 गठ्ठा है दक्षिण के 5 गठ्ठा है व पूरव के 102 व पश्चिम के 102 गठ्ठा है तथा खसरा नम्बर 223 के उत्तर के 3 गठ्ठा दक्षिण के 7 गठ्ठा है व पूरव के 101 गठ्ठा है व पश्चिम के 101 गठ्ठा है, प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजी का इन्द्राज का रकवा वर्तमान जमाबन्दी में ऐयर तो सही अंकित किये है, लेकिन सैटिलमेंट के नक्शा किश्तवार में जो पुराने खसरा नम्बर 220 का जो नया नम्बर 398 रकवा 0.16 है0 का बनाया गया है वह नक्शा की आकृति से 0.04 है0 बैठता है जिसमें नये खसरा नम्बर 398 का रकवा 0.12 है0 कम बैठता है तथा खसरा नम्बर 221, 222 व 223 मिन का जो नया खसरा नम्बर 421 रकवा 0.42 है0 का बनाया गया है, जिसकी आकृति

अनुसार 0.30 है0 बैठता है, प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजीयात में मौके पर अपनी आराजी की सिंचाई के लिए एक बोरिंग सैटिलमेंट से पहले का बना चला आ रहा है जिस पर बिजली विभाग ने विकलांग कोटे से प्रार्थीगण के लिए बिजली कनैक्शन दिया हुआ है जिसका एकाउन्ट नम्बर 18010180 है कि जिसका बिजली का बिल प्रार्थीगण जमा करते आ रहे है मगर इस बोरिंग को नये खसरा नम्बर 420 रकवा 0.20 में प्रदर्शित कर दिया है जिसकी खातेदारी का इन्द्राज गैरप्रार्थी संख्या 2 फूलवती के नाम है कि गैर प्रार्थी संख्या 2 फूलवती की उक्त बोरिंग की खातेदार काश्तकार नहीं है न उसका कोई कब्जा है, वर्तमान सैटिलमेंट कर्मचारीगण को सैटिलमेंट करते समय प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की उक्त आराजी की जगह को डिस्टर्व करने का या कम करने का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है मगर वर्तमान सैटिलमेंट के दौरान सैटिलमेंट कर्मचारीगण ने गैर प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाजायज व गैर कानूनी लाभ पहुचाने व प्रार्थीगण का नुकसान पहुचाने की दुर्भावना से उनसे नाजायज मिल्लत करते हुए या लिपिकिय भूल से उक्त नक्शा किश्तवार में सैटिलमेंट कर्मचारीगण ने भारी अनियमितता व अवैधानिकता पूर्ण कृत्य किया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है व पुराने नक्शा किश्तवार के अनुसार दुरूस्त किये जाने योग्य है, उक्त नये खसरा नम्बर 421 रकवा 0.4 है0 का जो रकवा 0.12 है0 प्रार्थीगण का कम बैठता है इस रकवे को गैर प्रार्थी संख्या 2 फूलवती के खसरा नम्बर 420 में मिला दिया है जबकि फूलवती गैरप्रार्थी संख्या 2 हमारे कम किये गये उक्त 0.12 है0 रकवे की खातेदार काश्तकार नहीं है न उसका वर्तमान में कब्जा है, न सैटिलमेंट से पूर्व रहा है, प्रार्थीगण की खातेदारी का जो नया खसरा नम्बर 398 रकवा 0.16 है0 का पुराने खसरा नम्बर 220 मिन का बनाया गया है उसका जो रकवा 0.12 है0 कम किया गया है उसको नवीन खसरा नम्बर 399 के उत्तर में दिखा दिया गया है जबकि वह खसरा नम्बर 399 के पश्चिम में होना चाहिये था, उक्त नवीन खसरा नम्बर 398 का रकवा 0.16 है0 के सही नये खसरा नम्बर 401 रकवा 0.13, 404 रकवा 0.13 है कि जिनकी खातेदारी का इन्द्राज गैर प्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के नाम है जबकि वह उक्त नये खसरा नम्बर 401 रकवा 0.13 व 404 रकवा 0.13 के खातेदार नहीं है न उनका आज तक मौके पर कोई कब्जा रहा है न सैटिलमेंट से पूर्व था, इस प्रकार सैटिलमेंट कर्मचारीगण ने मौके व कब्जे के विरूद्ध रकवे को डिस्टर्व कर दिया है जिसका मौके पर वर्तमान राजस्व कर्मचारीगण द्वारा दिनांक 12 व 13.06.2013 पैमाइश व सीमांज्ञान कराने पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम इल्म हुआ है उक्त नक्शा किश्तवार में गलत आकृति के बने रहने से प्रार्थीगण की खातेदारी का उक्त रकवा कम बैठता है कि जिसके बने रहने से प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, अत न्यायहित में मुताबिक मौका व कब्जा व मुताबिक पुराने नक्शा की स्थिति को वर्तमान नक्शे में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है , गैर प्रार्थीगण उक्त गलत आकृति की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने की व हमारी डोल मेंड को तोड फोड व नष्ट करने की व आराजी मुतनाजा को दीगर लठैत व्यक्तियों को जल्द से जल्द वय व मुन्तकिल करने पर अमादा है जिसकी बाबत उन्होंने प्राथीगण को दिनांक 25.06.2013 को ऐलानियां धमकी दी है कि जिसके कियान्वयन हो जाने पर मौके की व रिकार्ड की स्थिति यथावत नहीं रह सकेगी।

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 4 लगायत 7 में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में वर्तमान नक्शा किश्तवार में नवीन आराजी खसरा नम्बर 398, 421 व 420 की अंकित आकृति को सही व दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर विशेष विवरण में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 401, 404 प्रार्थीगण संख्या 3 ,4 की खातेदारी का है गैर प्रार्थीगण संख्या 7 का देहान्त हो चुका है जिसके वारिशान उसके देहान्त के बाद से आज तक काबिज चले आ रहे है और गैर प्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही खसरा नम्बर 420 में एक बोरिंग स्थापित किया गया है जिससे वह अपनी आराजी की सिंचाई करते आ रहे है जिससे प्रार्थीगण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है, यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अनावश्यक तंग व परेशान करने के लिए हम गैरप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है और वह किसी प्रकार से शुद्धिकरण करने के अधिकारी नहीं है व उनका यह प्रार्थना पत्र मय खरचा खारिज होने होग्य है, पैमाइश रिपोर्ट ता0 12 व 13.06.2013 हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्यों को रखते हुये पेश की है और रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित

गैणों के हस्ताक्षर कराने के बाद में पुन बीच में लाइन बढाई गई है और वह प्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुचाना चाहता है अत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार बयाना को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/14/666 दिनांक 07.03.2014 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 421 का रिकार्ड में रकवा 0.42 है0 है जबकि हाल नक्शा में बनायी गयी आकृति अनुसार रकवा लगभग 0.22 है0 ही बैठता है उक्त ख0न0 ग्राम बाजौली का है, ग्राम बाजौली के नक्शा में ख0 न0 421 व 423 के पश्चिम की तरफ में बिना नम्बर नक्शे में दो आकृति बना रखी है जिसमें एक आकृति करीब 0.04 है0 व दूसरी आकृति का रकवा करीब 0.06 है0 है इन दोनो बिना नम्बर की आकृति को अगर ख0 न0 421 व 423 में मिला दिया जावे तो प्रार्थीगण को लगभग 0.10 है0 भूमि की पूर्ति हो जायेगी इससे ग्राम के नक्शे की सीमाऐ भी नही हिलेंगी व पडोसियान कृषकों के नम्बरों के रकवा में भी अन्तर नहीं आयेगा, अगर पुराने नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में शुद्धि हेतु प्रस्तावित करते है तो अधिकतर ख0 नम्बरान की मेंडों में परिवर्तन होगा व शेष खसरा नम्बरान को मौका अनुसार शुद्ध नही किया जा सकता है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात बिजली बिल, जमाबन्दी सम्वत 2067–70 ग्राम बाजौली, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग, मौका पर्चा पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 12 व 13.06.2013, नक्शा ग्राम बाजौली सम्वत 1985, जमाबन्दी सम्वत 2036–40, नक्शा किश्तवार मौजा बाजौली सम्वत 2045, एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/14/666 दिनांक 07.03.2014 का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 421 वाके ग्राम बाजौली तहसील बयाना में ख0 न0 421 व 423 के पश्चिम की तरफ में बिना नम्बर नक्शे में दो आकृति बना रखी है जिसमें एक आकृति करीब 0.04 है0 व दूसरी आकृति का रकवा करीब 0.06 है0 है इन दोनो बिना नम्बर की आकृति को अगर ख0 न0 421 व 423 में मिलाया जाकर प्रार्थीगण को लगभग 0.10 है0 भूमि की पूर्ति कर रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक....01/04/26....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना